

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०-609/2020



इस कार्यालय का पत्र सं०-का/283/05/इंजी०/अम-अरे/सोन/2019/पार्ट-1 दिनांक-27.02.2019 एवं मंरेप्र(का०)/डीडीयू मंडल, पूर्व मध्य रेल का पत्र सं०-स्था०/इंजी०/ट्रैकमेन्टेनर/अं.मं. पार.स्थाना०/मुगल०/2017-18 दिनांक-20.12.2018 के द्वारा श्री विपुल कुमार, ट्रैकमेन्टेनर-III (Reversion on TM-IV) वेतनमान 5200-20200+1800 जीपी (लेवल-1) अधीन वसेई/पथ/गया, डीडीयू मंडल तथा श्री जितेन्द्र कुमार, ट्रैकमेन्टेनर-IV वेतनमान 5200-20200+1800 जीपी (लेवल-1) अधीन वसेई/पथ/खगड़िया, सोनपुर मंडल के बीच पारस्परिक स्थानान्तरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंरेप्र(कार्मिक)/डीडीयू मंडल के पत्र सं०-स्था०/इंजी०/ट्रैकमेन्टेनर/अं०रे०पार०स्थाना०/2018-19 दिनांक-03.11.2020 के द्वारा श्री विपुल कुमार विरमित होकर इस कार्यालय में योगदान हेतु दिनांक-05.11.2020 को रिपोर्ट किये है, को समान पद, वेतन, वेतनमान एवं ग्रेड पे में वसेई/पथ/खगड़िया के अधीन पदस्थापित किया जाता है।

श्री विपुल कुमार का अन्य सेवा विवरण हेतु मंरेप्र(का०)/डीडीयू का पत्र दिनांक-03.11.2020 की छायाप्रति संलग्न है। इनका रिपोर्ट करने की तिथि-05.11.2020 से कार्यालय आदेश जारी होने तक की तिथि को ड्यूटी हेतु प्रतिक्षारत रहे है।

चूंकी ये पारस्परिक स्थानान्तरण पर आये है अतः स्थानान्तरण संबंधी कोई लाभ देय नहीं होगा एवं वरीयता नियमानुसार देय होगी। नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने यूनिट में स्थानान्तरण नहीं लेंगे।

कर्मचारी के आवश्यक पहचान हेतु पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर का नमूना एवं बायें हाथ के अंगूठे का निशान राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित है।

	<p>Bipul Kumar</p>
<p>अधिकारी सोनपुर मंडल</p>	

उपरोक्त पर वमई(समन्वय)/सोनपुर का आदेश प्राप्त है।

(रवि कुमार पंडित)
सहायक कार्मिक अधिकारी-11
कृते मंरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर
दिनांक-09.11.2020

सं०- का/283/05/इंजी०/अम-अरे/सोन/पोस्टिंग/2019/पार्ट-11

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित-

1. मंरेप्र(का०)/डीडीयू पूर्व मध्य रेल-कृपया उपरोक्त कर्मचारी का लेखा विभाग द्वारा विधिक्षित सेवा अभिलेख, अवकाश खाता समई(पूर्व)/वरौनी कार्यालय को उपलब्ध करवायें।
2. वमई(समन्वय), वमविप्र/सोनपुर।
3. समई(पूर्व)/वरौनी
4. वसेई/पथ/खगड़िया।
5. संबंधित कर्मचारी। 6. अभिलेख प्रति। 7. कार्यालय आदेशप्रति।
8. मंडलमंत्री/ईसीआरकेयु, अजा-अजजा एशो० एवं ओबीसी एशो० सोनपुर मंडल।

कृते मंरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर